

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 108/2017

दायर दिनांक: 14/07/2017

उनवान

1. आनन्दीलाल आयु 65 वर्ष पुत्र धूलीलाल जाति मीणा निवासी डडवाडा तह० अटरू जिला बारां (राज०)

वादी

बनाम

1. रामचन्द्र आयु 72 वर्ष पुत्र धूलीलाल जाति मीणा निवासी डडवाडा
2. रामकिशन आयु 70 पुत्र वर्ष धूलीलाल जाति मीणा निवासी डडवाडा
3. भागचन्द्र आयु 50 वर्ष पुत्र धूलीलाल जाति मीणा निवासी डडवाडा
4. हरिओम आयु 23 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति मीणा निवासी डडवाडा
5. हरदीप आयु 21 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति मीणा निवासी डडवाडा तहसील अटरू जिला बारां
6. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 183 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :-

वादी:- विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

निर्णय

दिनांक: 23/05/2021

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषक पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि यह दावा अन्तर्गत धारा 53, 183, आर० टी० एक्ट० राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम व माल डडवाडा तहसील अटरू की खाता संख्या 109 की ख०नं० 54 का रकबा 1.57 है०, ख०नं० 127 का रकबा 1.28 है०, ख०नं० 162 का रकबा 0.06 है०, ख०नं० 165 का रकबा 0.03 है०, ख०नं० 166/561 का रकबा 0.02 है०, ख०नं० 243 का रकबा 0.06 है०, ख०नं० 245 का रकबा 0.16 है०, ख०नं० 255 का रकबा 0.04 है०, ख०नं० 264 का रकबा 0.11 है०, ख०नं० 321 का रकबा 0.42 है० कुल कित्ता 10 रकबा 3.75 है० का तहसीलदार अटरू से निर्णय दिनांक 18.02.2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव चाहा गया था। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2022/570 दिनांक 08.03.2022 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया। जिससे अभिभाषक वादी सहमत है।

अतः निर्णय व डिक्री दिनांक 18.02.2021 अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम व माल डडवाडा तहसील अटरू की खाता संख्या 109 की ख0नं0 54 का रकबा 1.57 है0, ख0नं0 127 का रकबा 1.28 है0, ख0नं0 162 का रकबा 0.06 है0, ख0नं0 165 का रकबा 0.03 है0, ख0नं0 166/561 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 243 का रकबा 0.06 है0, ख0नं0 245 का रकबा 0.16 है0, ख0नं0 255 का रकबा 0.04 है0, ख0नं0 264 का रकबा 0.11 है0, ख0नं0 321 का रकबा 0.42 है0 कुल कित्ता 10 रकबा 3.75 है0 भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार पेश किया है। अतः वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

खातेदार का नाम	ख0नं0	ख0नं0	ख0नं0	ख0नं0	ख0नं0	ख0नं0	ख0नं0	ख0नं0	ख0नं0	ख0नं0	कुल रकबा
	127 की 1.27 है0 रकबा	162 की 0.06 है0 रकबा	165 की 0.03 है0 रकबा	166/561 की 0.02 है0 रकबा	243 की 0.06 है0 रकबा	245 की 0.16 है0 रकबा	255 की 0.04 है0 रकबा	264 की 0.11 है0 रकबा	321 की 0.42 है0 रकबा	54 की 1.57 है0 रकबा	
1. (रामचन्द्र पुत्र धूलीलाल) गुडडी बाई पत्नि राजाराम मीणा का हिस्सा,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.32 है0	0.32 है0
रामचन्द्र पुत्र धूलीलाल मीणा (बनवारीलाल वगै. , रामचन्द्र)	0.26	0.01	—	0.01	—	0.05	0.02	—	0.08	—	0.43 है0
2. रामकिशन पुत्र धूलीलाल	0.26	0.01	—	0.01	—	0.05	0.02	—	0.08	0.32	0.75 है0
3. (बाबूलाल) हरिओम हरदीप पुत्र बाबूलाल मीणा सा.देह	0.26	0.01	0.01	—	—	0.05	—	0.03	0.08	0.31	0.75 है0
4. भागचन्द्र पुत्र धूली लाल मीणा सा. देह	0.25	0.02	0.01	—	0.03	—	—	0.04	0.09	0.31	0.75 है0
5. आनन्दीलाल पुत्र धूलीलाल मीणा सा. देह	0.25	0.01	0.01	—	0.03	0.01	—	0.04	0.09	0.31	0.75 है0

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 23.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

फाइनल डिक्री मुकदमा इब्दाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 108/2017

उनवान

1. आनन्दीलाल आयु 65 वर्ष पुत्र धूलीलाल जाति मीणा निवासी डडवाडा तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. रामचन्द्र आयु 72 वर्ष पुत्र धूलीलाल जाति मीणा निवासी डडवाडा
2. रामकिशन आयु 70 पुत्र वर्ष धूलीलाल जाति मीणा निवासी डडवाडा
3. भागचन्द्र आयु 50 वर्ष पुत्र धूलीलाल जाति मीणा निवासी डडवाडा
4. हरिओम आयु 23 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति मीणा निवासी डडवाडा
5. हरदीप आयु 21 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति मीणा निवासी डडवाडा तहसील अटरू जिला बारां
6. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 183 आर.टी.एक्ट.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनईX..... रूबरू.....X.....

उपस्थिति :-

वादी:- विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

मिनजानित मुदई रूबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम व माल डडवाडा तहसील अटरू की खाता संख्या 109 की ख0नं0 54 का रकबा 1.57 है0, ख0नं0 127 का रकबा 1.28 है0, ख0नं0 162 का रकबा 0.06 है0, ख0नं0 165 का रकबा 0.03 है0, ख0नं0 166/561 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 243 का रकबा 0.06 है0, ख0नं0 245 का रकबा 0.16 है0, ख0नं0 255 का रकबा 0.04 है0, ख0नं0 264 का रकबा 0.11 है0, ख0नं0 321 का रकबा 0.42 है0 कुल कित्ता 10 रकबा 3.75 है0 भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार पेश किया है। अतः वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

खातेदार का नाम	ख0नं0	ख0नं0	ख0नं0	ख0नं0	ख0नं0	ख0नं0	ख0नं0	ख0नं0	ख0नं0	ख0नं0	कुल रकबा
	127 की 1.27 है0	162 की 0.06 है0	165 की 0.03 है0	166/561 की 0.02 है0	243 की 0.06 है0	245 की 0.16 है0	255 की 0.04 है0	264 की 0.11 है0	321 की 0.42 है0	54 की 1.57 है0	
	रकबा	रकबा	रकबा	रकबा	रकबा	रकबा	रकबा	रकबा	रकबा	रकबा	
1. (रामचन्द्र पुत्र धूलीलाल) गुडडी बाई पत्नि राजाराम मीणा का हिस्सा,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.32 है0	0.32 है0
रामचन्द्र पुत्र धूलीलाल मीणा	0.26	0.01	—	0.01	—	0.05	0.02	—	0.08	—	0.43 है0

(बनवारीलाल वगै. , रामचन्द्र)											
2. रामकिशन पुत्र धूलीलाल	0.26	0.01	—	0.01	—	0.05	0.02	—	0.08	0.32	0.75 है0
3. (बाबूलाल) हरिओम हरदीप पुत्र बाबूलाल मीणा सा.देह	0.26	0.01	0.01	—	—	0.05	—	0.03	0.08	0.31	0.75 है0
4. भागचन्द्र पुत्र धूली लाल मीणा सा. देह	0.25	0.02	0.01	—	0.03	—	—	0.04	0.09	0.31	0.75 है0
5. आनन्दीलाल पुत्र धूलीलाल मीणा सा. देह	0.25	0.01	0.01	—	0.03	0.01	—	0.04	0.09	0.31	0.75 है0

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX.....
..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 23.05.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)